Proposal No. : FP/UP/Pipeline/148458/2021

भाग –2

7.	परियोजना का विवरण	इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत चौडगरा–घाटमपुर–भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–46) के कि.मी. 82.000 से कि.मी. 64.000 कुल लम्बाई 18.00 किमी एवं 0.90 हे0 संरक्षित वन भूमि में एच.डी.डी तकनीकी/ओपेन ट्रेंच के माध्यम से भूमिगत 12" (300एम.एम) व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.90 हे0 के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति
(I)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(II)	जिला	फतेहपुर
(III)	वन प्रभाग	समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर
(IV)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)	0.90 हे0
(V)	वन कानून की स्थिति	संरक्षित
(VI)	हरियाली घनत्व	0.1 (इको क्लास– 03)
(VII)	प्रजातिवार(वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेणीवार वृक्षों की पतिगणना (संलग्न की जाय। सिचाई/जलीय परियोजनों के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0आर0एल0–2 मी0 पर परिगणना और एफ0आर0एल0 4 मी0 भी संलग्न किये जाए)	कोई भी वृक्ष प्रभावित नही है।
(VIII)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	अत्यन्त छोटा एवं पटरी के रुप में क्षेत्र होने के कारण भू–क्षरण के प्रति संवेदनशील नही है।
(IX)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी पर	संरक्षित वन क्षेत्र में (0 किमी0)
(X)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथ कारीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)	नही
(XI)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नही
(XII)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां0 तो तत्समम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो ,दें।	नही
8	एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नही, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि अपरिहार्य न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है(हॉ/नही) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि,दोषी अधिकारियों	नही

Proposal No. : FP/UP/Pipeline/148458/2021

10	**प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा**	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	भारत सरकार की गाइड लाइन संख्या – File No. Fc-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 के क्रम मे छूट है।
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमिक वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	लागू नही है।
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढाचा आदि	लागू नही है।
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	लागू नही है।
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय)	लागू नही है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम–7(XI)(XII), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए	संलग्न है
12	**विभाग/ जिला प्रोफाइल**	
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	415200 हे0
II	जिले का वन क्षेत्र	7113.913 हे0
III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तेर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	52 मामले एवं 223.8395 हे0
IV	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	–
क	दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	312.52124 हे0 39187 पौध का रोपण
ख	वनेत्तर भूमि पर	शून्य
ट	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
क	वन भूमि पर	72.32630 हे0 एवं 38947 पौध
ख	वनेत्तर भूमि पर	शून्य
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष	जनहित में प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर